

माँ चंद्रघंटा



भारत में माँ चंद्रघंटा का पूजन अत्यंत लोकप्रिय है। माँ चंद्रघंटा का पूजन करने से घर में सुख, शांति और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को भय से मुक्ति दिलाने और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं।

ख़ास-ख़बरें

पाकिस्तानी छात्रा ने की आत्महत्या



इस्लामाबाद, एजेंसी : पाकिस्तान में 20 वर्षीय लेबा इजाज की आत्महत्या का मामला सामने आया है। भीतिका में स्वर्ण पदक जीत चुकी लेबा अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहती थी। परिवार का आरोप है कि दाखिले, छात्रवृत्ति और अमेरिकी वीजा का आश्वासन देकर उनसे करीब 93 लाख टका लिए। आरोपी ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज भी दिए। परिवार ने इस रकम का बंटजाम जमीन बेचकर किया था। नौ अक्टूबर को इस्लामाबाद के जी-10 सेक्टर के एक बाजार में लेबा का शव मिला। संघीय जांच एजेंसी ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की बैठक आज



नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत के लिए 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में पहली बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करना सम्मान की बात है। उन्होंने सदस्य देशों के गृह मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत किया। शाह ने कहा कि बैठक में आतंकवाद, सीमा पार संगठित अपराध, नशीले पदार्थों, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेन-देन और साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए ठोस समन्वय की प्रतिबद्धता जताई।

नए फॉर्म-6 को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी नहीं

नईदुनिया ब्यूरो, पटना: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान इस्तेमाल किए गए नए फॉर्म-6 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उसने इस पर कोई न्यायिक फैसला नहीं दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयपाला बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 को अदालत की मंजूरी मिलने की बात कही है। इस पर न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि यह मुद्दा सुनवाई के दौरान अदालत के सामने नहीं आया था।

आदेश

अदालत ने स्वास्थ्य और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन पर दिया जोर, 15 को फिर सुनवाई

कम प्रदूषण वाले पटाखों का उपयोग करने की अपील

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली:दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अदालत ने लोगों से त्योहारों के दौरान कम प्रदूषण फैलाने वाले तरीके अपनाने की अपील की। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान न्याय मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कहा कि यदि भगवानों को पता चले कि उनके नाम पर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और पीड़ित हो रहे हैं, तो वे भी हैरान रह जाएंगे। अदालत ने पटाखों से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पर जोर दिया। पीठ में न्यायमूर्ति जयपाला बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थीं। अदालत ने कहा कि कोई भी आदेश देने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसे व्यावहारिक रूप से लागू



किया जा सकता है या नहीं। न्यायमूर्ति बागची ने पटाखे फोड़ने के धार्मिक आधार पर भी सवाल उठाया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लोगों को जागरूक बनाना होगा और उन्हें समझाना होगा कि कौन से पटाखे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने मूल संस्कृति की ओर लौटने की जरूरत बताते हुए कहा कि पहले त्योहारों पर फुलझड़ियां जलाई

जाती थीं और दीपक प्रज्वलित किए जाते थे। वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कहा कि किसी प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए उसे सही तरीके से लागू करना आवश्यक है। अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि केवल आदेश जारी करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि उसके पालन की व्यवस्था भी जरूरी है। पिछले वर्ष दिवाली से पहले दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के पार पहुंच गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्धारित शर्तों के साथ हरित पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी थी। इसका उद्देश्य धार्मिक परंपराओं, पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाना था। सुनवाई के दौरान पराली जलाने से रोकने के उपायों पर भी चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों और भविष्य की योजनाओं के संबंध में अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने पर सहमति जताई।



चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध याचिका दाखिल

विपक्षी दलों की सुप्रीम कोर्ट में दस्तक



कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के 11 नेता बने पक्षकार सीजेआई के मिलने से इन्कार बाद याचिका लगाई

याचिका दाखिल करने वाले 11 नेताओं में राहुल गांधी (नेता प्रतिपक्ष), अखिलेश यादव (सपा), तेजस्वी यादव (राजद) के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, तुणमूल कांग्रेस के सौगत राय, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के संजय राउत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के एम.ए. बेबी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी. राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महूआ माझी, राष्टवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद पवार) की सुप्रिया सुले और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ई.टी. मोहम्मद बशीर भी शामिल हैं। रविवार को विपक्षी सांसदों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को पत्र लिखकर ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था। मुख्य न्यायाधीश ने उनसे मिलने से इन्कार करते हुए याचिका दाखिल करने के लिए कहा था।

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के 11 नेताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव सहित विभिन्न विपक्षी दलों के नेता शामिल हैं। इसमें चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पक्षकार बनाया गया है। याचिका दाखिल करने से पहले विपक्षी नेताओं ने दिल्ली के बाराखंबा से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला। करीब एक किलोमीटर लंबे इस मार्च में नेता बसों, वाहनों और पैदल शामिल हुए। यह पहली बार है जब विपक्षी नेताओं ने अपनी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला। मार्च से पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने विपक्ष के मार्च की तुलना शिवजी की बारात से करते हुए कहा कि इसमें कोई भी शामिल हो सकता है।

जंतर-मंतर पर अब धरना प्रदर्शन बैन

नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर अब धरना-प्रदर्शन नहीं हो सकेगे। केंद्र सरकार ने इसे निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया है। करीब 33 साल पहले जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में अनुमति दी गई थी। गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर अब

रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड को प्रदर्शन स्थलों के रूप में निर्धारित किया गया है। यहां अन्ना आंदोलन, पहलवानों का प्रदर्शन और कॉकरोच जनता पार्टी का धरना हो चुका है। सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली।

लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर सहित 4 आतंकी मारे गए

► **पुंठ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बारूदी सुरंग में विस्फोट**

गए और विस्फोट की चपेट में आ गए। मारे गए आतंकीयों की पहचान मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद वकास और मोहम्मद असोम के रूप में हुई है।

विस्फोट इतना तेज था कि चारों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है। नियंत्रण रेखा पर निगरानी कड़ी कर दी गई है, ताकि घुसपैठ की किसी अन्य कोशिश को रोक़ा जा सके।

पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर के बसोनी इलाके में सोमवार को सीमा पर लगी बाड़ के पास दो पुरानी बारूदी सुरंगें भी मिलीं।

► **मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक**

► **2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित मप्र के लिए प्रतिबद्धता का संकल्प पारित**

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश के साढ़े आठ करोड़ से अधिक नागरिकों की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। साथ ही वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर भारत और विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का

संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे, डिजिटल तकनीक, विनिर्माण, गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और वंचित वर्गों के सशक्तीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण में योगदान देगी।

6 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त

► **डॉ. ब्रिसेन उबराखंड के राज्यपाल**



डॉ. ढाल सिंह ब्रिसेन मध्यप्रदेश के भाजपा नेता हैं। वे बार बार विधायक रहे और 2019 में बालाघाट से लोकसभा सांसद चुने गए थे। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी काम किया है।

हिमाचल प्रदेश, बिहार और केरल के राज्यपाल के रूप में भी काम किया है।

बृज मोहन राम भाजपा के नेता और पूर्व सांसद हैं। वे 1991 से 1995 तक बिहार अलावा राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु, बृज मोहन राम को ओडिशा और दुष्यंत गौतम को सिक्किम की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

ओम प्रकाश माथुर भाजपा के वरिष्ठ नेता और अनुभवी संगठनकर्ता हैं। वे पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य रह चुके हैं। जुलाई 2024 में उन्होंने सिक्किम के राज्यपाल का पद संभाला था। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गोवा सरकार में मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने

नगा संगठन ने सिर लौटाने के लिए दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम

नईदुनिया ब्यूरो, गुवाहाटी: मणिपुर के कांगपोकपी जिले में 52 वर्षीय अजिनबोउ आर की हत्या के बाद उनका कटा सिर लौटाने की मांग तेज हो गई है। नगा संगठन जॉइंट ट्राइब्स काउंसिल मणिपुर ने केंद्र और राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि सिर मिलने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाएगा। अजिनबोउ की शनिवार को मकुई अशांग गांव में उग्रवादी हमले में हत्या कर दी गई थी। उनका बिना सिर वाला शव रविवार रात इम्फाल के जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान लाया गया। मणिपुर में नगा-कुकी हिंसा के दौरान शुक्रवार और शनिवार को 10 लोगों की मौत हुई। तनाव के मद्देनजर कांगपोकपी और कामजोंग जिलों में 24 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया। सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, असम राइफल्स, कोबरा बटालियन और मणिपुर पुलिस के कमांडो तैनात किए गए हैं। हिंसा की शुरुआत कामजोंग जिले के चसाद गांव में एक महिला की गोली मारकर हत्या के बाद हुई। इसके बाद नगा और कुकी सशस्त्र समूहों के बीच गोलीबारी हुई।

The Honda Joy Fest

इस त्योहार, घर आये होंडा - घर आये खुशी

1st Prize



होंडा शाईन DX100

2nd Prize



क्रिज 32 इंच एल.ई.डी. टी.व्ही.

3rd Prize



वॉशिंग मशीन

4th Prize



टूली बेग

5th Prize



इन्डक्शन

कैशबैक ₹10000* तक

न्यूनतम ROi @5.99%*

लोन 100%* तक

लोन अवधि 60* महीने

नो हायपोथिकेशन*



IDFC FIRST Bank

CREDIT CARDS

pine labs

अधिक जानकारी के लिए 7000702072 पर मिस्ड कॉल दें



होसर बिमान के लिए QR कोड स्कैन करें

Sahil Honda

भगवानगंज 70 00 70 20 72

मकरोनिया 89 65 09 55 91

जैसीनगर 89 64 01 73 15